न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर

रसद प्रार्थना पत्र संख्या 59/2018

राजस्थान सरकार जरिये श्री अब्दुल सादिक, प्रर्वतन अधिकारी, अजमेर .....प्रार्थी

बनाम

मैसर्स उषा ट्रेडर्स, लोढा मार्केट, दुकान नं0 22, अजमेर जरिये श्री परमेश्वर गहलोत पुत्र श्री रामपाल जी, निवासी ग्राम गनाहेडा, तहसील पुष्कर, जिला–अजमेर।

.....अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

उपस्थितः श्रीमती रेणुका चतुर्वेदी, प्रर्वतन अधिकारी, अजमेर – पैरोकार सरकार

आदेश

दिनांक 24.07.2018

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 17.02.2018 को जिला रसद अधिकारी अजमेर (प्रथम) के निर्देशानुसार घरेलू गैस सिलेण्डरों के अवैध रूप से व्यावसायिक दुरूप्योग/घरेलू सिलेण्डरो के अवैध रूप से गैस रिफलिंग को रोकने के अभियान के तहत प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के व्यवसाय स्थल की जांच करने पर 05 छोटे गैस सिलेण्डर (5 किलो) मय गैस स्टोव, जिन पर सुरक्षा प्रमाणीकरण, एस.आर.नं0, गैस कम्पनी का नाम अंकित नही है तथा एल.पी.जी. गैस के दो लाईट (हांडी गैस) भी पाये गये जिन पर कम्पनी का नाम, नम्बर, आई.एस.आई मार्का अंकित होना नही पाया गया। अप्रार्थी उक्त गैस सिलेण्डर के संदर्भ में कोई कागजात प्रस्तुत नही किये गये जो घरेलू गैस सिलेण्डरो के व्यावसायिक उपयोग की पुष्टि करता है। घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक कार्य में दुरूपयोग एल.पी.जी. (रेग्युलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (C) का उल्लंघन है। अतः एक घरेलू सिलेण्डर को राजहित में कब्जेराज लेकर मौके पर चन्द्रयान गैस ऐजेन्सी के कार्मिक श्री अयुब खान पुत्र श्री कयुम खान निवासी फकीराखेडा, अजमेर को सुपुर्दगी में दिये गये। प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जब्तशुदा 05 छोटे गैस सिलेण्डर तथा दो लाईट (हांडी गैस) को राजसात करने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित है। उपस्थित पैरोकार सरकार को सुना गया।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि दिनांक 17.02.2018 को जांच दौरान अप्रार्थी द्वारा अपने व्यवसाय स्थल पर घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक दुरूपयोग किया जाना पाया गया। घरेलू गैस सिलेण्डर का

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

व्यवसायिक दुरूपयोग एल.पी.जी. आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (C) का उल्लघंन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हैं। अतः कब्जेराज लिया गया घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात फरमाया जावें।

हमनें पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। चूंकि अप्रार्थी अनुपस्थित है, उनके द्वारा जरिये जवाब भी ऐसे कोई आधारभूत कथन, दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के पेश नही किये गये है, जो प्रार्थना पत्र कथनो का खण्डन करते। वक्त जांच उनके द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग अपने व्यवसाय स्थल पर किया जाना पाया गया है। इससे उपरोक्त अवैद्य कृत्य अप्रार्थी का स्वतः ही साबित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कब्जेराज लिये गये 05: छोटे गैस सिलेण्डर (5 किलो) तथा दो लाईट (हांडी गैस) को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत राजसात किया जाता है। चूकिं उक्त सलेण्डर को संबन्धित कम्पनी अमानत राशि लेकर नये उपभोक्ताओं को जारी करेगी। अतः पूर्व में जमा अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावें ।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 24.07.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(आरती डोगरा)
जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner